

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना**

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 414/2025

दायर दिनांक 10.12.2025

वादी

प्रतिवादीगण

1. श्रवणसिंह राठौड पुत्र  
प्रहलाद सिंह जाति राजपूत  
निवासी कोनियाडा तहसील  
छोटीखाटू जिला  
डीडवाना-कुचामन

बनाम

1. सन्तोष कुमार पुत्र मांगीलाल जाति माली  
निवासी छोटीखाटू जिला  
डीडवाना-कुचामन
2. तहसीलदार छोटीखाटू

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रिकॉर्ड दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 88, 53,188 R.T.Act., 136 L.R.Act.,

उपस्थित:-

1. श्री मो. शरीफ शैरानी वकील वादी।

--:: निर्णय ::--

दिनांक 06.05.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वाके सरहद कोनियाडा के खेत खसरा संख्या 220 रकबा 1.8900 है. भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत दिनांक 09.04.2026 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटीखाटू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटीखाटू ने अपने पत्रांक: भू.अ./2026/662 दिनांक 29.04.2026 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटीखाटू द्वारा प्रस्तावित बंटवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटीखाटू सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार छोटीखाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2026/662 दिनांक 29.04.2026 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :-

--:: आदेश ::--

सरहद कोनियाडा के खेत खसरा संख्या 220 रकबा 1.8900 है. वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ./2026/662 दिनांक 29.04.2026 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

*WKS*  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

तहसीलदार छोटीखाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिय पत्रांक: भू.अ./2026/662 दिनांक 29.04.2026 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

*Wes*  
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

*Wes*  
(विकास मोहन भाटी R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी  
डीडवाना

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 414/2025

दायर दिनांक 10.12.2025

वादी

प्रतिवादीगण

1. श्रवणसिंह राठौड़ पुत्र  
प्रहलाद सिंह जाति राजपूत  
निवासी कोनियाडा तहसील  
छोटीखाटू जिला  
डीडवाना-कुचामन

बनाम

1. सन्तोष कुमार पुत्र मांगीलाल जाति माली  
निवासी छोटीखाटू जिला  
डीडवाना-कुचामन  
2. तहसीलदार छोटीखाटू

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकॉर्ड दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 88, 53,188 R.T.Act., 136 L.R.Act.,

दिनांक 06.05.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे व हाजरी  
मिनजानिब मुददई श्री मो. शरीफ शेरानी वादी की ओर से मददायलह पेश होकर  
हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर सरहद कोनियाडा के खेत  
खसरा संख्या 220 रकबा 1.8900 है. वादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी  
व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार छोटीखाटू से  
प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भूअ./2026/662 दिनांक 29.04.2026 में  
वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर  
खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते हैं।

तहसीलदार छोटीखाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिय पत्रांक: भूअ.  
/2026/662 दिनांक 29.04.2026 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।  
तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....

.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को  
अदा करें। बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 06.05.2026 को  
सरे इजलास में जारी की गयी।

*Wkas*  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना